भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

\* \* \*

राज्य सभा

तारांकित प्रश्‍न संख्या ：18

（दिनांक 05.12.2013 को उत्तर के लिए）

**सिविल सेवा बोर्ड का गठन**

**\*18. श्री बलविंदर सिंह भुंडर :**

**क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्‍या उच्‍चतम न्‍यायालय ने सरकार को देश में सिविल सेवकों के स्‍थानांतरण, पदस्‍थापन, पुरस्‍कारों, जांचों आदि के प्रबंधन हेतु सिविल सेवा बोर्ड (सी.एस.बी.) के गठन का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां,तो उच्‍चतम न्‍यायालय के निदेशों का ब्‍यौरा क्‍या है तथा इन निदेशों के संबंध में सरकार का क्‍या दृष्टिकोण है; और

(ग) क्‍या उच्‍चतम न्‍यायालय ने सिविल सेवकों का न्‍यूनतम कार्यकाल निर्धारित करने का भी निदेश दिया है और यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है तथा सरकार की इस पर क्‍या प्रतिक्रिया है ?

**उत्तर**

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वे. नारायणसामी)**

**(क), (ख) एवं (ग)** : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

**दिनांक : 05.12.2013 के लिए राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं. 18 के भाग (क), (ख) एवं (ग) के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण**

**-------------**

**(क) एवं (ख) :** जी, हां ।

उच्‍चतम न्‍यायालय का निदेश निम्‍नानुसार है :

**‘’हम, अतएव, केन्‍द्र, राज्‍य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्रों को ऐसे बोर्डों का तीन माह की अवधि के भीतर, यदि पहले गठन नहीं किया गया हो, संसद द्वारा सी.एस.बी. गठित करने में उपयुक्‍त विधेयन लाने तक, अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों वाले उच्‍च रैंकिंग वाले सेवारत्‍त अधिकारियों सहित गठन करने का निदेश देते हैं ।‘’**

जहां तक केन्‍द्र सरकार का संबंध है, यह सूचित किया जाता है कि केन्‍द्र में सिविल सेवा बोर्ड केन्‍द्रीय स्‍टाफिंग योजना के अंतर्गत सम्मिलित पदों की नियुक्तियां करने के लिए पहले ही विद्यमान है । केन्‍द्र सरकार में अन्‍य पदों के लिए, संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों को न्‍यायालयके निदेशों का कार्यान्‍वयन करने के लिए कहा गया है ।

**(ग) :** जी, हां ।

उच्‍चतम न्‍यायालय का निदेश निम्‍नानुसार है :

‘’**हम, अतएव, संघ राज्‍य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्रों, को तीन माह की अवधि के भीतर, विभिन्‍न सिविल सेवकों को सेवा के न्‍यूनतम कार्यकाल प्रदान करने को सुरक्षित करने के लिए उपयुक्‍त निर्देश जारी करने के लिए निदेश देते हैं ।‘’**

इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के संबंध में, आईएएस (संवर्ग) नियमावली, 1954 में पहले से ही प्रावधान है कि :

‘’7(ग)(i) केन्‍द्र सरकार, संबंधित राज्‍य सरकार अथवा राज्‍य सरकारों के साथ परामर्श से, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्‍या का निर्धारण) विनियम, 1955 की अनुसूची की मद 1(एक) में संबंधित राज्‍य के लिए विनिर्दिष्‍ट सभी अथवा किसी संवर्ग पदों के कार्यकाल का निर्धारण कर सकता है ।

(ग)(ii) किसी पद जिसके लिए कार्यकाल को इस प्रकार निर्धारित किया गया हो, में नियुक्‍त किया गया कोई संवर्ग अधिकारी पदोन्‍नति, सेवानिवृत्ति, राज्‍य से बाहर प्रतिनियुक्ति अथवा दो माह से अधिक प्रशिक्षण की स्थिति को छोड़कर यथा-निर्धारित न्‍यूनतम कार्यकाल तक पद पर रहेंगे ।

(ग)(iii) किसी अधिकारी को इन नियमों के साथ संलग्‍न की गई अनुसूची में यथा‍-निर्दिष्‍ट न्‍यूनतम कार्यकाल समिति की संस्‍तुति पर ही न्‍यूनतम निर्धारित कार्यकाल से पूर्व स्‍थानांतरित किया जा सकता है।‘’

संवर्ग पदों के लिए दो वर्षों का न्‍यूनतम कार्यकाल निर्धारित करने वाली अधिसूचनाओं को आईएएस के लिए कुछ संवर्गों के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा पहले ही जारी किया हुआ है । अन्‍य अखिल भारतीय सेवाओं (आईपीएस एवं आईएफएस) की संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों एवं केन्‍द्र सेवाओं से न्‍यूनतम कार्यकाल निर्धारण पर न्‍यायालय के निदेशों का कार्यान्‍वयन करने के लिए फिर कहा गया है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*